

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व विभाग नागरिक अधिकार पत्र

सूची

- प्रशासन में पारदर्शिता
- सूचना का अधिकार
- अधिकार एवं कर्तव्य
- जवाबदेही
- प्रक्रिया
- कार्यों की समय सीमा

पटवार मण्डल

पटवारी के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकार

1. राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करना

भू-राजस्व (भू.अ.) नियमावली के नियम 28 के अन्तर्गत प्रत्येक रूचि रखने वाला व्यक्ति पटवारी के अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है व पेंसिल नोट उतार सकता है। काश्तकार द्वारा नियमानुसार शुल्क पटवारी के पास जमा कराकर राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त की जा सकती है।

नाम अभिलेख	परिमाण	एल.आर.नियम 28 के अनुसार शुल्क व निर्धारित अवधि		विशेष
		निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	
1. जमाबन्दी चौसाला (पी-26)	10 ख.नं. तक प्रत्येक 10 ख. नं. या उसके भाग के लिये	10.00 रू. 05.00 रू.	3 दिन	1. पटवारी को जब अभिधारी से उसके अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि उद्धारण प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हो तो पटवारी आवेदक को तारीख सहित सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद देगा।
2. खसरा चौसाला (पी-13)	प्रत्येक 10 ख. नं. या उसके भाग के लिये	10.00 रू.	3 दिन	
3. नक्शा ट्रेस	प्रत्येक 10 ख. नं. या उसके भाग के लिये	20.00 रू.	3 दिन	

नाम अभिलेख	परिमाण	एल.आर.नियम 28 के अनुसार शुल्क व निर्धारित अवधि		विशेष
		निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	
4. खसरा परिवर्तनशील (पी-14)	प्रत्येक 10 ख. नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रू.	3 दिन	2. किसी भी राजकीय कर्मचारी को अपनी उपस्थिति में पटवारी अपना रेकार्ड दिखायेगा और यदि वह चाहे तो उस रेकार्ड में से नकले उतारने देगा बशर्त कि वे केवल सरकारी कार्य हेतु अपेक्षित हो। 3. जिन अभिलेखों की प्रतिलिपी फीस उपर नहीं दी गई है, उसकी प्रतिलिपी फीस वही होगी जो खसरा की है।
5. नामान्तरण (पी-21)	प्रत्येक प्रारूप के लिये	20.00 रू.	3 दिन	
6. ढाल- बांछ (पी-30) सियाहा (पी-32) जमाबन्दी परिवर्तनशील (पी-25)	प्रत्येक 10 प्रविष्टियों या उसके भाग के लिये	10.00 रू.	3 दिन	
7. प्रतिदिन की डायरी	किसी भी एक दिन में की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लिए	20.00 रू.	3 दिन	
8. अर्ज ईरसाल (पी-34) रसीद (पी-33)	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00 रू.	3 दिन	
9. सहकारी सोसायटी बनाने के लिए जमाबन्दी (खेवट खतौनी) में की गई प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि देना	-	निःशुल्क	3 दिवस	
10. ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के आवेदन पर उन गोचर भूमियों या आबादी की भूमियों या अन्य सरकारी जमीनों के जो पंचायत को या पंचायत समिति को, यथास्थिति, हस्तानान्तरित हुई हों या हस्तानान्तरण के लिए प्रस्तावित हो, खसरा नम्बरों के उद्घरणों और नक्शों की प्रमाणित प्रतिलिपि देना।	-	निःशुल्क	3 दिवस	

2 (A) - नामान्तरण

भू-राजस्व (भू.अ.) नियमावली, 1957 के नियम 131 के अनुसार व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार नामान्तरण खुलवाने हेतु संबंधित पटवारी/ग्राम पंचायत/तहसीलदार को आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन किया जा सकता है।

पटवार स्तर पर कार्यवाही	पंचायत/तहसीलदार/उपपंजीयक स्तर पर कार्यवाही	निर्धारित अविध
<p>आवेदन का इन्द्राज पी. 21 (ए) नामान्तरण चैक पंजिका में करेगा एवं तत्पश्चात् पी-21 में नामान्तरण दर्ज कर भू अभिलेख निरीक्षक के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।</p> <p>नामान्तरण की भू.अ.नि. से जांच करवाकर पंचायत/ राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।</p>		7 दिवस
		10 दिवस
	पंचायत को नामान्तरण प्राप्त होने पर बैठक में निर्णय पारित करेगी ।	30 दिवस
	निश्चित अवधि में पंचायत द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर इस पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित किया जाएगा।	30 दिवस
	भू.रा. (भू.अ.) नियमावली के नियम 141 के अनुसार पंजीयन/ उप-पंजीयक से तहसीलदार प्रत्येक माह खेती की भूमि के समस्त हस्तान्तरणों के संबंध में पंजीकृत दस्तावेजों की एक प्रति मय विवरण के प्राप्त करेगा तथा तत्काल संबंधित पटवारियों में वितरित किये जाने के लिए संबंधित भू.अ.नि. को भेजेगा। भू.अ.नि.गण संबंधित पटवारियों में इसका वितरण 3 दिन में अनिवार्य रूप से करेंगे। इसकी समीक्षा पटवारियों की आगामी मासिक बैठक में की जायेगी।	10 दिवस
	पटवारी नामान्तरण प्रमाणित होने के बाद उसकी प्रति मासिक बैठक में तहसील में जमा करवायेगा तथा जो नामान्तरण दायर किये जा चुके है किन्तु प्रमाणित नहीं हुए है, उनकी सूची मय प्रमाणित नहीं होने के कारण सहित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।	मासिक बैठक में

2 (B) - नामान्तरण फीस बताने वाली तालिका

1.	राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) (इसके पश्चात् इस सारणी के "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 40 के अधीन खातेदारी अधिकारों का उत्तराधिकार।	न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।
2.	<p>(क) अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्यविधि के अधीन जागीर के पुनर्ग्रहण पर या जमींदारी या बिस्वेदारी सम्पदा के उत्पादन पर मालिक के अधिकार के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकारों का प्रोदभूत होना।</p> <p>(ख) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन खातेदारी अधिकारों का प्रोदभूत होना।</p> <p>(ग) अधिनियम की धारा 19 के अधीन खातेदारी अधिकारों का प्रोदभूत होना।</p>	<p>न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।</p> <p>न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।</p> <p>न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।</p>
3.	अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5), के अधीन या धारा 15 कक की उपधारा (2) के अधीन या धारा 19 की उप धारा (1-क) के अधीन या धारा 9 के अधीन खातेदारी अधिकारों की घोषणा।	न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत।
4.	अधिनियम की धारा 42 के अधीन किसी खातेदार अभिधारी के द्वारा विक्रय या दान के माध्यम से या ऐसी सरकारी कृषि भूमियों के जो अधिभोग में नहीं है, स्थायी आवंटन या क्रय संबंधी किन्ही नियमों के अधीन सरकार से आवंटन या क्रय द्वारा खातेदारी अधिकारों का अर्जन।	न्यूनतम 10/- रू. प्रति नामान्तरण
5.	<p>(क) अधिनियम को धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन भोगबन्धक।</p> <p>(ख) अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन भोगबन्धक।</p> <p>(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिकार प्रोदभूत हुए हो, धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन, बंधक।</p> <p>(घ) भूमि बंधक बैंक या सहकारी सोसायटी के पक्ष में अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (6) के अधीन बंधक।</p>	<p>न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।</p> <p>न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।</p> <p>न्यूनतम 10/- रू. प्रति नामान्तरण।</p> <p>न्यूनतम 10/- रू. प्रति नामान्तरण।</p>
6.	अधिनियम की धारा 48 या 49 या 49-क के अधीन या अन्यथा विनियम	न्यूनतम 10/- रू. प्रति जोत।

7.	अधिनियम की धारा 53 के अधीन जोत का विभाजन।	10/- रू. प्रति जोत।
8.	अधिनियम की धारा 55 से 57 के अधीन अभ्यर्पण।	10/- रू. नामान्तरण।
9.	अधिनियम की धारा 174 या 175 या 177 या 180 के अधीन बेदखली द्वारा भूमि का प्रत्यागम।	10/- रू. प्रति नामान्तरण।
10.	अधिनियम की धारा 187 या 187-ख के अधीन यथापूर्वकरण।	10/- रू. प्रति नामान्तरण।
11.	अधिनियम की धारा 196 के अधीन बाग धारक के हितों का न्यागमन या अन्तरण।	न्यूनतम फीस 10/- रू. प्रति जोत वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।
12.	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम, 15) की धारा 90-क और अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषि संपरिवर्तन।	10/- रू. प्रति नामान्तरण।
13.	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 100 या 101 या 101 के अधीन या राजस्थान कोलोनाइजेशन (उपनिवेशन) अधिनियम, 1954 (सन् 1954 का राजस्थान अधिनियम संख्या 27) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा सरकार से बेचान या आवंटन द्वारा अवाप्ति (Acquisition) पर।	प्रति नामान्तरण रू. 1.00
14.	रजिस्ट्रीकृत विलेखों के आधार पर या न्यायालयों के आदेश के नामान्तरण	10/- रू. प्रति नामान्तरण।
15.	पिछले अधिकार अभिलेख (मिसल हकीयत) (Record of Right) में गलतियों की साधारण दुरुस्ती, यदि उससे कोई नया हक नहीं मिलता हो।	कोई फीस नहीं।
16.	सरकार के पक्ष में भूमि का रहन या ऐसे रहन के मोचन (फकुल रहन) पर।	कोई फीस नहीं।
17.	सरकार द्वारा या तो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन या जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण या जमींदारी या विस्वेदारी संपदाओं के उत्पादन के माध्यम से अर्जित भूमि के बारे में नामान्तरण।	न्यूनतम फीस 10/- रू. प्रति जोत के अध्यक्षीन रहते हुए वार्षिक लगान का 10 प्रतिशत।
18.	सरकार के पक्ष में इन्द्राजों की दुरुस्ती होने पर	कोई फीस नहीं।
19.	किसी भी किस्म के ऐसे नामान्तरण पर जिसे सरकार नामान्तरण शुल्क से मुक्ति घोषित कर दे।	कोई फीस नहीं।

3. कृषि जोत पास-बुक

उद्देश्य : काशतकारों को अपनी जोत की पूर्ण जानकारी, बैंक ऋण प्राप्ति की सुविधा, भूमि-विक्रय के पंजीयन आदि कार्य के लिए, राज. पास-बुक (कृषि जोत) अधिनियम 1983 व संशोधित अधिनियम, 1994 के अनुसार विधिक (अधिकार अभिलेख) अभिलेख है। काशतकार राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर पास बुक प्राप्त कर सकता है।

काशतकार के पास बुक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से शुल्क जमा कराना होगा	पटवारी द्वारा पास-बुक	विशेष
अजा/अजजा के कृषकों द्वारा - 5.00 रु.	3 दिवस	राज. पास-बुक कृषि जोत अधिनियम 1983 के अध्ययन-2 की धारा 4 के अनुसरण में राज्य भूमि धारण करने वाला प्रत्येक कृषक अपने द्वारा धारित या ऐसी भूमि जिसके कि संबंध में उसका हित है, को पास-बुक उपलब्ध खातेदारों को भी पास बुक उपलब्ध कराई जायेगी।
अन्य कृषक - 10.00 रु.	3 दिवस	
डुप्लीकेट पास-बुक - 15.00 रु.	3 दिवस	
पास बुक आदिनांक करना - निःशुल्क	3 दिवस	

4. सीमा ज्ञान

खेत की सीमा ज्ञान/ सर्वेक्षण करवाने के लिये कोई भी खातेदार/ गैर खातेदार अपना आवेदन पत्र पटवारी की निर्धारित शुल्क के साथ दे सकता है।

कार्य	क्षेत्रफल	शुल्क	आवेदन एवं कार्य प्रक्रिया	निर्धारित अवधि	विशेष
खेतों का सीमांकन/सर्वेक्षण कर सीमा चिन्ह लगवाएगा (भू.अ. नियम 34 के अनुसार)	5 एकड़ (2.5 हैक्टेयर) तक	50.00 रु.	1. आवेदन एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर पटवारी उसे दर्ज रजिस्टर करेगा एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद भूमि धारी को देगा। 2. पटवारी आवेदन पत्र पर सीमा ज्ञान हेतु तहसीलदार/ सर्किल ऑफिसर से आदेश प्राप्त करेगा। 3. यदि खेत जिसका सर्वेक्षण किया जाना है अन्तः ग्राम-सीमा पर	उसी दिन	1. सीमा ज्ञान के समय सरपंच/वार्ड पंच उपस्थित रहेंगे। 2. यदि खेत अन्तः ग्राम-सीमा पर स्थित है, तो सर्वेक्षण भू.अ. निरीक्षक द्वारा किया जावेगा। 3. यदि मौके पर फसल खड़ी होने या अन्य कारण से सीमा ज्ञान सम्भव नहीं हो तो इस संबंध में पटवारी द्वारा
	5 एकड़ (2.5 हैक्टेयर) से अधिक किन्तु 10 एकड़ (5 हैक्टेयर) तक	100.00 रु.		3 दिवस	
	10 एकड़ (5 हैक्टेयर) से अधिक	200.00 रु.		3 दिवस	

			स्थित है, तो आवेदन पत्र तहसीलदार/ सर्किल ऑफिसर से आदेश प्राप्त करने के बाद सर्वेक्षण हेतु भू.अ. निरीक्षक को भेजेगा।		सूचना अविलम्ब तहसीलदार को दी जावेगी।
			4. तहसीलदार/सर्किल आफिसर से सीमा ज्ञान के आदेश प्राप्त कर पटवारी सीमा ज्ञान करवा कर तहसील/सर्किल ऑफिसर को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	सामान्यतः 7 दिवस एवं अधिकतम 15 दिवस	

नोट :- यदि फिर भी सीमा ज्ञान के मामले बकाया रह जाते हैं, तो संबंधित भू.अ.नि./पटवारी माह मई/ जून में इन्हें अभियान के तौर पर निपटारेंगे तथा इसके बाद उनके पास सीमा ज्ञान का कोई मामला निस्तारण से शेष नहीं रहना चाहिए।

5. विभिन्न प्रमाण-पत्र

पटवार मण्डल स्तर पर मूल निवास/जाति प्रमाण-पत्र व अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवेदन तहसील स्तर पर किया जाना चाहिए।

पटवारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	निर्धारित अवधि	निर्धारित शुल्क
1. जाति प्रमाण-पत्र : तहसील से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर आवश्यक जाँच कर रिपोर्ट करना।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस आवेदन पत्र पर
2. मूल निवास प्रमाण-पत्र : जिला दण्डनायक, उप जिला दण्डनायक, ए.सी.एम., तहसीलदार से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर रिपोर्ट तहसीलदार को भेजेगा।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस आवेदन पत्र पर
3. हैसियत प्रमाण-पत्र : तहसीलदार से आवेदन पत्र होने पर रजिस्टर में दर्ज कर जाँच करके तहसील में रिपोर्ट भेजेगा।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस आवेदन पत्र पर
4. वृद्धावस्था/ विधवा व विकलांग पेंशन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट अंकित कर तहसीलदार को भेजेगा।	3 दिवस	-

5 (A). बैंको आदि से ऋण प्राप्त करने हेतु अदेय प्रमाण-पत्र जारी करना

कोई भी काश्तकार यदि ऋणदात्री संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना चाहता है, तो इन संस्थाओं की मांग के अनुसार अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य	आवेदन किस प्रकार किया जाए	निर्धारित अवधि
कोई भी काश्तकार बैंको आदि से ऋण प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए अदेय प्रमाण - पत्र की आवश्यकता होती है।	आवेदन साधारण कागज पर मय जमाबन्दी की नकल व पटवारी की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।	पटवारी आवेदन पत्र एवं अभिलेख की जांच कर अपनी रिपोर्ट 7 दिवस में तहसील में प्रस्तुत कर देगा।

6. गिरदावरी/वसूली

पटवारी जब गिरदावरी/वसूली के लिए हल्के में जाए तो इसकी सूचना पटवारघरों/पंचायत भवन के सूचना पट्ट पर अंकित करेगा। दोनों कार्यों के लिए ग्राम विशेष में निश्चित समय व्यतीत करेगा।

कार्य	प्रारम्भ करने की तिथि	समाप्त करने की तिथि	विशेष विवरण
(अ) गिरदावरी	16 सितम्बर	15 अक्टूबर	(1) सामयिक सूचना योजना (टी.आर.एस.) के अधीन वाले ग्रामों में खरीफ एवं रबी की फसलों की गिरदावरी नियमों में वर्णित तारीख से 15 दिन पहले प्रारम्भ की जायेगी। (2) जब किसी कारण से फसल सदैव से 15 दिन देरी से पके तो जिला कलक्टर नियत तारीखों से अधिक से अधिक 15 दिन देरी से गश्त गिरदावरी प्रारम्भ करने की एवं फसल सदैव से जल्दी पकने पर नियत तारीखों से 15 दिन पहले गिरदावरी करने की अनुमित दे सकेगा। (3) विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार फसल खरीफ एवं रबी की गिरदावरी प्रारम्भ रकने एवं समाप्त करने की तारीखों में परिवर्तन कर सकेगी।
1. खरीफ	1 फरवरी	5 मार्च	
2. रबी	1 मई	15 मई	
3. जायद रबी	1 मई तथा वर्ष भर		
(ब) वसूली			

शिकायत कहां की जाए -

पटवारी द्वारा कार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं करने पर इसकी शिकायत संबंधित तहसीलदार को की जानी चाहिए। तहसीलदार प्राप्त शिकायतों को दर्ज रजिस्टर कर इनका 15 दिवस में निस्तारण कर संबंधित शिकायतकर्ता को सूचित करेगा एवं आवश्यक होने पर पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ करेगा।

भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त

भू.अ. निरीक्षक के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकार

1. ग्राम के नक्शों में तरमीम

राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 187 में भू-अभिलेख निरीक्षक गांव के राजस्व नक्शों में परिवर्तन की जांच एवं तरमीम करने के लिए उत्तरदायी होगा :-

कार्यों का प्रकार	आवेदन का प्रकार	कार्य अवधि	विशेष विवरण
गांव के राजस्व नक्शों में तरमीम	भू-अभिलेख निरीक्षक स्व प्रेरणा से अथवा पटवारी की रिपोर्ट पर अथवा काश्तकार के लिखित अभ्यावेदन पर ग्राम के नक्शों में तरमीम करेगा (कोई कोर्ट फीस नहीं)	तरमीम कार्य वर्ष भर करेगा एवं विशेष रूप से माह नवम्बर के प्रारम्भ में तरमीम से अवशेष नम्बरों का पता लगाकर, पटवारी तरमीम करने में असमर्थ हो तो सुधार के सुझाव सहित प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रेषित करेगा।	खेतों की सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, विभाजन या स्वीकृत रास्तों का अंकन निरीक्षक के द्वारा ग्राम के नक्शों में लाल स्याही से पुख्ता किया जावेगा।

2. चौसाला जमाबन्दी की तैयारी एवं जांच

भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 155 एवं 194 के अनुसार जमाबन्दी की जांच की जावेगी :-

कार्यों का प्रकार	आवेदन का प्रकार	कार्य अवधि	विशेष विवरण
जमाबन्दी की तैयारी एवं जांच	जमाबन्दी के चतुर्थ वर्षीय प्रमाणांकन के वक्त जांच के दौरान या किसी काश्तकार के लिखित अभ्यावेदन पर पाये गये परिवर्तन को सूची बद्ध निस्तारण करेगा। (कोई कोर्ट फीस नहीं)	भू-अभिलेख निरीक्षक को माह जून, जुलाई एवं अगस्त उन ग्रामों का भ्रमण करना चाहिए जिनकी जमाबन्दियों तैयार की जा रही है, उसे काश्तकारों की उपस्थिति में तैयार जमाबन्दी के एक-एक इन्द्राज को तस्दीक कर जमाबन्दी के प्रत्येक खाता पर लघु हस्ताक्षर करना चाहिए। भू.अ. निरीक्षक को अपने क्षेत्र के सभी ग्रामों की जमाबन्दी जांच माह अगस्त तक पूर्ण कर लेनी चाहिए एवं माह सितम्बर के अन्त तक सभी ग्रामों की जमाबन्दियां तैयार हो जाना सुनिश्चित करना चाहिए।	यदि किसी प्रकार का परिवर्तन जो पटवारी द्वारा नहीं किया गया है एवं काश्तकार द्वारा सूचित किया गया है तो उसे भू.अ.नि. अपनी डायरी में अभिलिखित करेगा एवं पटवारी को निर्देशित करेगा।

3. खसरा गिरदावरी की जांच एवं पडताल

भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 189 के अनुसार खसरा गिरदावरी की जांच एवं पडताल करेगा।

कार्यों का प्रकार	आवेदन का प्रकार	कार्य अवधि	विशेष विवरण
खसरा गिरदावरी की जांच एवं पडताल	स्वयं द्वारा मौका जांच करके एवं काश्तकार के लिखित अभ्यावेदन पर गश्त गिरदावरी की जांच कर आवश्यक संशोधन करेगा। (कोई कोर्ट फीस नहीं)	भू-अभिलेख निरीक्षक फसल खरीफ गिरदावरी की जांच 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य, फसल रबी गिरदावरी की जांच 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य एवं फसल जायद रबी की जांच 1 मई से 5 मई के मध्य करेगा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. परिवर्तनशील खेती एवं राजकीय भूमि पर अतिचार के मामलों में प्रत्येक खेत की मौका जांच की जावेगी। 2. खातेदारी/ गैर खातेदारी भूमि के खसरो की 25 प्रतिशत मौका जांच की जावेगी। 3. नये कुओं एवं मरम्मतशुदा कुओं की जांच की जावेगी। 4. अभ्यावेदन के मामलों में तुरन्त मौका देखकर तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।

4. विवादों का निपटारा

भू-अभिलेख निरीक्षक खसरे के किसी विवाद का निपटारा राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 199 के अनुसार करेगा।

कार्यों का प्रकार	आवेदन का प्रकार	कार्य अवधि	विशेष विवरण
विवादों का निपटारा	स्व प्रेरणा से, पटवारी के सूचित करने पर अथवा काश्तकार के द्वारा सूचित किये जाने पर। (कोई कोर्ट फीस नहीं)	वर्ष भर	खसरे में किसी प्रकार के विवादों में निपटारे के लिये निरीक्षक पक्षकारों के बयान खसरे के अन्त में दर्ज करेगा एवं उनके हस्ताक्षर लेगा। यदि पक्षकारों में सहमति नहीं बनती है तो नियमानुसार जांच कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी।

5. सीमा चिन्हों की जांच

भू-अभिलेख निरीक्षक सीमा चिन्हों की जांच राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 190 के अनुसार करेगा।

कार्यों का प्रकार	आवेदन का प्रकार	कार्य अवधि	विशेष विवरण
सीमा चिन्हों की जांच	स्व प्रेरणा से, पटवारी की रिपोर्ट पर अथवा काश्तकार के अभ्यावेदन पर सीमा चिन्हों की जांच (कोई कोर्ट फीस नहीं)	वर्ष में एक बार	<p>1. भू.अ.नि. वर्ष में एक बार मरम्मत या नवीनीकरण करने योग्य सीमा चिन्हों की जांच करेगा एवं मरम्मत या नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होने पर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।</p> <p>2. जब चिन्ह बनाये जा रहे हो, भू.अ.नि. का यह देखने का दायित्व होगा कि वे सही स्थान पर खड़े किये जा रहे हैं।</p>

6. वसूली जी जांच

भू-अभिलेख निरीक्षक वसूली की जांच राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 195 के अनुसार करेगा।

कार्यों का प्रकार	आवेदन का प्रकार	कार्य अवधि	विशेष विवरण
वसूली की जांच	नियमानुसार स्वयं द्वारा जांच की जावेगी एवं काश्तकार के अभ्यावेदन पर भी जांच की जा सकती है। (कोई कोट फीसी नहीं)	वर्ष भर	<p>1. भू.अ.नि. द्वारा अपने क्षेत्र के सभी ग्रामों की वसूली जांच किया जाना आवश्यक है।</p> <p>2. निरीक्षक को काश्तकार की प्रतियों से वसूली अभिलेख का मिलान करना चाहिए एवं किसी प्रकार का अन्तर पाये जाने पर तुरन्त तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए।</p>

कार्यों का प्रकार	आवेदन का प्रकार	कार्य अवधि	विशेष विवरण
वसूली की जांच	नियमानुसार स्वयं द्वारा जांच की जावेगी एवं काश्तकार के अभ्यावेदन पर भी जांच की जा सकती है। (कोई कोट फीसी नहीं)	वर्ष भर	3. निरीक्षक को यह देखना चाहिए कि पटवारी द्वारा राशि समय पर राजकोष में जमा करवाई जा रही है तथा वसूल राशि का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। 4. काश्तकार के अभ्यावेदन पर प्रस्तुत शिकायत की जांच काश्तकार के समक्ष की जाकर उसे संतुष्ट किया जाना चाहिए एवं यदि किसी प्रकार का अन्तर पाया जावे तो रिपोर्ट तुरन्त तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. सीमा ज्ञान

काश्तकार अपने खेत का सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु एल.आर.नियम 34 के अनुसार तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार को आवेदन करने पर यदि ग्राम अन्तःग्राम सीमा पर स्थित है तो भू अभिलेख निरीक्षक को सीमा ज्ञान के आदेश देगा।

कार्य	निस्तारण हेतु निर्धारण समय		शुल्क		विशेष
	स्तर	समय	क्षेत्रफल	शुल्क	
एल.आर. नियम 34 के अनुसार काश्तकार अपने खेत के सीमांकन हेतु संबंधित तहसीलदार को आवेदन कर सकता है।	1. तहसील स्तर पर कार्यवाही कर भू अभिलेख निरीक्षक को सीमा ज्ञान करवाने हेतु आदेश देना।	उसी दिन	5 एकड़ (2.5 हैक्टेयर) तक	50.00 रु. 100.00 रु.	1. सीमा ज्ञान के आवेदन तहसील में वर्ष भर प्राप्त किए जा सकते हैं। 2. सीमा ज्ञान हेतु आवेदन पटवारी को भी किया जा सकता है। 3. यदि मौके पर फसल खड़ी होने या अन्य कारण से
	2. भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा सीमा ज्ञान करवा कर रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत करना।	सामान्यता 7 दिवस अधिकतम 15 दिन	5 एकड़ (2.5 हैक्टेयर) से अधिक किन्तु 10 एकड़ (5 हैक्टेयर) तक	200. रु.	
			10 एकड़ (5 हैक्टेयर) से अधिक		

					सीमा ज्ञान सम्भव नहीं हो तो इस संबंध में भू. अ. निरीक्षक द्वारा सूचना अविलम्ब तहसीलदार को दी जावेगी
--	--	--	--	--	---

नोट :- यदि फिर भी सीमा ज्ञान के मामले बकाया रह जाते हैं, तो संबंधित भू.अ.नि./पटवारी माह मई/जून में अभियान के तौर पर निपटारेंगे तथा उनके पास सीमा-ज्ञान का कोई मामला निस्तारण से शेष नहीं रहना चाहिए।